10 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के गर्भपात के लिये याचिका पर केन्द्र को नोटिस

नई दिल्ली,(आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने 10 वर्षीय एक बलात्कार पीड़ित लड़की के 26 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति के लिये दायर याचिका पर आज केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने चंडीगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव से इस मामले में न्याय मित्र के रूप में न्यायालय की मदद करने का अनुरोध किया है। न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता का 26 जुलाई को चिकित्सकों के बोर्ड से परीक्षण कराने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने यह भी कहा कि मेडिकल बोर्ड को इस पहलू की भी जांच करनी होगी कि यदि वे गर्भ समापन की अनुमति दें तो पीड़ित लड़की के जीवन के प्रति खतरे की क्या संभावना है। न्यायालय ने सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिये भी कहा कि बलात्कार पीड़िता और उसके माता पिता में से एक को पीजीआई, चंडीगढ़ में परीक्षण हेतु जाने के लिये उचित सुविधा उपलब्ध करायी जाये। न्यायालय इस मामले में अब 28 जुलाई को आगे विचार करेगा। न्यायालय ने कहा कि मेडिकल बोर्ड सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट उसे सौंपेगा। इसके साथ ही न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता के वकील से कहा कि वह तुरंत सदस्य सचिव को उसका पता मुहैया कराये। बलात्कार पीड़िता के 26 सप्ताह की गर्भवती होने की पुष्टि होने के बाद चंडीगढ़ की जिला अदालत ने 18 जुलाई को उसे गर्भपात की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद ही इस मामले में शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर की गयी। न्यायालय गर्भ का चिकित्सीय समापन कानून के तहत 20 सप्ताह तक के भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमति प्रदान करता है और भ्रूण में आनुवांशिक असमान्यता होने की स्थिति में अपवाद स्वरूप इतर आदेश भी दे सकता है। याचिका दायर करने वाले वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शीर्ष अदालत से विशेषकर बलात्कार पीड़ित बच्चों के गर्भपात से संबंधित मामलों में तत्परता से कदम उठाने के इरादे से देश के प्रत्येक जिले में स्थाई मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिये उचित दिशानिर्देश देने का अनुरोध किया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सीनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट

कोरबा,(आरएनएस)। महासमुंद में 25 से 30 जुलाई तक आयोजित सत्रहवीं छत्तीसगढ़ राज्य सीनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए जिला बैडमिंटन संघ ने चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। विभिन्न वर्गों में आयोजित प्रतियोगिता के आधार पर जिला टीम का चयन किया गया। पुरूष एकल वर्ग में उपविजेता कार्तिकेश शुक्ला तथा विजेता राम शंकर राठौर रहे। पुरूष युगल वर्ग में विजेता हर्ष ठाकुर एवं कार्तिकेश तथा नरेंद्र पटेल एवं विनय चौहान की जोड़ी उपविजेता रही। मिश्रित युगल वर्ग में अविनाश पाठक व मानसी सिंह उपविजेता रहे, जबकि कार्तिकेश व मधु पांडे ने इस वर्ग में विजेता का खिताब अपने नाम किया।

टीवी पर सचिन तेंडुलकर को देखकर पूनम ने सीखी बल्लेबाजी

नई दिल्ली,(आरएनएस)। महिला वर्ल्ड कप फाइनल में रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ 86 रन की पारी खेलने वाली भारतीय बल्लेबाज पूनम राउत बचपन से सचिन तेंडुलकर की मुरीद हैं। सचिन को टीवी पर खेलता देख उन्होंने बल्लेबाजी की कई बारीकियां सीखी हैं। हालांकि पूनम की इस शानदार पारी के बावजूद भारत को 9 रन से हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद से उन्होंने अभी तक अपने घर पर किसी से बात भी नहीं की है। उनके पिता गणेश राउत ने बताया कि इस दुख से वह अभी तक उबरी नहीं है और घर पर भी फोन नहीं किया। गणेश ने एक बातचीत में कहा, हम भी उसके फोन का इंतजार कर रहे हैं। वह हार से इतनी दुखी है कि अभी तक हमसे भी बात नहीं की। पूनम ने टूर्नामेंट में 9 मैचों में 67.43 की औसत से 381 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं और वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 5वें स्थान पर रही। मुंबई की रहने वाली पूनम बचपन से ही तेंडुलकर की मुरीद रही हैं और उनके पिता ने बताया कि वह उनकी बल्लेबाजी देखने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। उन्होंने कहा, बचपन से वह सचिन की फैन रही है। जब भी मौका मिलता, उनकी बल्लेबाजी देखती और सीखने की कोशिश करती थी। उसके पास कई स्ट्रोक्स ऐसे हैं, जो सचिन सर के बल्ले से देखने को मिलते थे। मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर में अक्सर अर्जुन तेंडुलकर के साथ अभ्यास के दौरान पूनम को सचिन से मुलाकात का मौका भी मिला। गणेश ने भारतीय टीम के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा कि इससे महिला क्रिकेट को लेकर लोगों की सोच बदलेगी। उन्होंने कहा, पूनम ने जब खेलना शुरू किया, तो कई लोगों को अजीब लगता था कि ये लड़की होकर क्रिकेट क्यों खेलती थी लेकिन मुझे उसकी प्रतिभा पर भरोसा था। मैं खुद क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन गरीबी और हालात के कारण नहीं बन सका। जब मैंने पूनम को खेलते देखा तो मुझे लगा कि मेरा सपना मेरी बेटी पूरा करेगी। गणेश ने कहा, पूनम ने 1999-2000 में कोच संजय गायतोंडे के मार्गदर्शन में खेलना शुरू किया और बोरिवली में दोनों टीमों के लड़कों के बीच वह अकेली लड़की खेलती थी। उन्होंने कहा कि कई लड़कों के माता पिता ने उनसे कहा कि इसे लड़कियों के साथ खेलने भेजो लेकिन कोच ने उन्हें इस पर गौर नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, मैं या तो उसके मैच देखने नहीं जाता या दूर बैठता था। फिर 2004 में मुंबई की अंडर 14 और अंडर 19 लड़कियों की टीम में उसका चयन हो गया। इसके बाद उसने मुड़कर नहीं देखा।

निठारी कांडः सीबीआई कोर्ट का अहम फैसला

दोषी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा

नई दिल्ली,(आरएनएस)। गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने एक युवती की हत्या में पंधेर और सुरेंद्र कोली को शनिवार को रेप और मर्डर दोषी पाया था। निठारी कांड दिसंबर 2006 में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था। निठारी कांड के एक अन्य मामले में पहले भी कोली को फांसी की सजा मिल चुकी है। पंधेर को कोर्ट ने हत्या और रेप की कोशिश समेत सबूत मिटाने और साजिश रचने का दोषी पाया गया। गौरतलब है कि 12 साल पहले 20 जून 2005 को आठ साल की एक बच्ची नोएडा के निठारी इलाके से अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद से इस इलाके में लगातार बच्चे गायब होने लगे। एक साल तक लगातार बच्चों के गायब होने यह सिलसिला चलता रहा और करीब दर्जनभर बच्चे गायब हो गए। मामला राष्ट्रीय स्तर पर आने के बाद पुलिस की अलग-अलग टीमों ने एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। 7 मई 2006 को 21 साल की एक और लड़की जब गायब हुई तो पुलिस को अहम सुराग उसके मोबाइल से मिला। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। उसके बाद जब उसमे से एक नंबर पर कॉल की गई तो उसका नाम मनिंदर सिंह पंधेर का था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में पंधेर और उसके नौकर कोली को आरोपी बनाया। इसके बाद पूरे निठारी मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें 15 से ज्यादा बच्चियों और लड़कियों का रेप किया गया था। रेप के बाद उन्हें मारकर पंढेर के घर में दफ्न कर दिया गया था।

सुरेंद्र कोली को पहले भी सुनाई जा चुकी है फांसी की सजा : निठारी कांड के 6 मामलों में कोर्ट सुरेंद्र कोली को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में कोर्ट ने कोली को एक लड़की के मर्डर केस में किडनैपिंग, रेप और सबूत मिटाने का दोषी पाया था। इससे पहले के भी पांच मामले में सीबीआई कोर्ट ने कोली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि 2015 में इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था।

यह थी घटना

सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि नोएडा के निठारी गांव में रह रही पश्चिम बंगाल के बहरामपुर निवासी 20 वर्षीय युवती सेक्टर 37 में एक कोठी में घरेलू सहायिका थी। वह रोजाना निठारी के डी-5 कोठी के सामने से गुजरती थी। पांच अक्टूबर 2006 को वह कोठी में काम करने गई थी। काम खत्म करने के बाद उसने दोपहर 1:30 बजे वहीं सीरियल कुमकुम देखा और फिर घर के लिए रवाना हुई, लेकिन घर नहीं पहुंची। पिता ने नोएडा के थाना सेक्टर-20 में गुमशुदगी की तहरीर दी थी।

एय्याशी के लिए बना रखा था अड्डा

पंजाब के व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंधेर ने एय्याशी के लिए नोएडा के निठारी में डी-5 कोठी में ठिकाना बना रखा था। आरोप है कि इस कोठी में 16 लोगों की हत्या की गई। इनमें आठ खून साबित हो चुके हैं। अदालत ने माना कि हत्याएं इसलिए की गईं थीं कि कहीं दुष्कर्म के बाद पीड़िता, मामले की जानकारी परिजनों को न दे दें।

पिता की हत्या करने वाला बेटा परिवार समेत फरार

गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जगह-जगह दबिश

दुर्ग,(आरएनएस)। सिकोलाबस्ती जयंती नगर में पिता की हत्या कर परिवार के साथ फरार हुए आरोपी बेटे की फिरहाल गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसे गिरफ्तार करने पुलिस ने रातभर जगह-जगह दबिश दी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। सोमवार को मोहन नगर पुलिस ने मॉरच्युरी में रखे गणपत राम साहू (70) का शव परिक्षण कर अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया गया। गणपत राम साहू की हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक के बेटे बेनूराम साहू समेत अन्य के खिलाफ रविवार को रात में ही हत्या की धारा के तहत एफआईआर कर लिया है। मृतक गणपत सिंचाई विभाग का रिटायर्ड कर्मचारी था। वह अपने दो बेटे के साथ जयंती नगर के मकान में रहता था। मकान को वह पहले ही अपने बड़े बेटे के नाम कर चुका था। आरोपी बेनूराम पैत्रिक जमीन को भी हथियाना चाहता था। मृतक का कहना था कि पैत्रिक जमीन को वही तीनो बेटों को बराबर देगा। घटना के बाद बेनूराम साहू अपनी पत्नी, तीन बच्चों और साढ़ू के साथ कार से भाग निकला। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को शंका हुई कि आरोपी अपने रिश्तेदार के यहां गया होगा। इसके बाद मोहन नगर टीआई गोपाल वैस्य ने दो टीम गठित कर रायपुर और माना रवाना किया। रात भर खोजबीन के बाद टीम वापिस लौट आई। टीआई का कहना है कि वे आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक परिवार के सदस्यों ने आरोपियों के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि कुछ माह पहले संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई थी। मृतक गणपत राम साहू ने अपने बेटे बेनूराम साहू के खिलाफ थाना पहुंचकर शिकायत की थी। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह न्यायालय से जमानत लेकर रिहा हो गया। संपत्ति बंटवारा को लेकर रविवार को शाम पांच बजे फिर से विवाद हुआ। विवाद के दौरान बेनूराम व उसके तीन बेटे, पत्नी व साढ़ू ने मिलकर गणपत की हत्या कर दी।

Business News / बिजनेस न्यूज

तिमाही नतीजों, फेडरल रिजर्व से तय होगी बाजार की चाल

नई दिल्ली,(आरएनएस)। कंपनियों के तिमाही परिणाम और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक इस हफ्ते बाजार की दिशा तय करेंगे। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के संस्थापक निदेशक विजय सिंघानिया ने कहा कि इस सप्ताह आइसीआइसीआई बैंक, एचसीएल टेक, मारुति, ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प और डॉ. रेड्डीज जैसी वजनदार कंपनियों के तिमाही नतीजे आने हैं। ग्लोबल मोर्चे पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व बुधवार को नीतिगत ब्याज दर पर अपने निर्णय की घोषणा करेगा। इनका बाजार की कारोबारी धारणा पर असर पड़ेगा। आम्रपाली आद्या ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट्स के डायरेक्टर व रिसर्च हेड अबनीश कुमार सुधांशु ने बताया कि यह सप्ताह काफी उठापटक भरा हो सकता है। कई ब्लूचिप कंपनियों के तिमाही नतीजे इस हफ्ते आने हैं। सैमको सिक्योरिटीज के सीईओ जिमित मोदी ने कहा कि बाजार में तेजी बनी हुई है। विदेशी बाजारों में किसी प्रतिकूल घटना का घरेलू बाजार की कारोबारी धारणा पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 25-26 जुलाई को बैठक होनी है। इस पर निवेशकों की नजर रहेगी। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर बोले कि वर्तमान में निवेशक सकारात्मक व्यापक आर्थिक आंकड़ों को तरजीह दे रहे हैं। इसने बाजार में उत्साह बना रखा है। हालांकि, अमेरिकी फेड पॉलिसी, ओपेक की बैठक और तिमाही नतीजों से निकट भविष्य में उठापटक देखी जा सकती है। बाजार की तेजी में बैलेंस्ड फंड चमकेः दलाल स्ट्रीट में बराबर तेजी बने रहने से बैलेंस्ड फंडों पर दांव लगाने वाले फंड हाउस उत्साहित हैं। कुल फंड फ्लो के मामले में यह सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ने वाला है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, बैलेंस्ड फंडों में जून के दौरान मासिक आधार पर 7,458 करोड़ रुपये का इनफ्लो हुआ। इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) दोगुने हो गए। म्यूचुअल फंड फोलियो ऊंचाई परः निवेशकों में म्यूचुअल फंडों को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले जून, 2017 में फोलियो की संख्या 93 लाख से ज्यादा बढ़कर रिकॉर्ड 5.82 करोड़ पर पहुंच गई। खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ने से ऐसा हुआ। बाजार नियामक सेबी के ताजा आंकड़ों में यह बात कही गई है।

एचपीसीएल के अधिग्रहण के बाद ओएनजीसी नहीं लाएगी ओपन ऑफर

नई दिल्ली,(आरएनएस)। एचपीसीएल में सरकार की 51.11 फीसद हिस्सेदारी खरीदने के बाद ओएनजीसी को उसके माइनॉरिटी शेयरधारकों के लिए ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं होगी। वजह यह है कि इस सौदे से अधिग्रहण संबंधी नियम प्रभावी नहीं होंगे जैसा कि 2002 में आइओसी-आइबीपी विलय में हुआ था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पिछले सप्ताह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने ओएनजीसी को ऑयल मार्केटिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) में सरकार की पूरी 51.11 फीसद हिस्सेदारी खरीदने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। एचपीसीएल अलग सूचीबद्ध कंपनी बनी रहेगी। ओएनजीसी को एचपीसीएल के माइनॉरिटी शेयरधारकों को खुली पेशकश नहीं करनी होगी क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनी को ट्रांसफर की जा रही है। ऐसे में मालिकाना हक में बदलाव नहीं हो रहा है। अधिकारी ने बताया कि ओपन ऑफर की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रबंधन के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। यह संबद्ध पक्ष के बीच लेनदेन है।

जीएम सरसों बीज मामला

नई दिल्ली,(आरएनएस)। जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) सरसों के उत्पादन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को शुक्रवार तक एक हलफनामा दायर कर वहीं कोर्ट ने कहा कि अगर याचिका की यह आशंका सही है कि जेनिटिकली मॉडिफाइड सरसों के इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है तो केंद्र को इसकी पैदावार बंद कर देनी चाहिए। वहीं यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करेगी तो कोर्ट याचिकाकर्ता को आदेश देगा। गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने इन बीजों के खेती में इस्तेमाल से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए सरकार से पूछा था कि वो कब तक इन बीजों पर नीति बनाएगी।

ट्रांसफर के लिए आयकर अधिकारी नाजायज दबाव न डलवाएं :सीबीडीटी

नई दिल्ली,(आरएनएस)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग के अधिकारियों को चेताया है कि वे ट्रांसफर व पोस्टिंग में दबाव के लिए राजनीतिक या किसी अन्य तरह के बाहरी प्रभाव का इस्तेमाल करने का प्रयास न करें। सीबीडीटी ने इस संबंध में कड़ी सलाह (ऑफिस मेमोरेंडम) जारी की है। कई अधिकारियों की ओर से इन कामों के लिए राजनीतिक या बाहरी प्रभाव का इस्तेमाल करने का प्रयास किये जाने की जानकारी मिलने पर चेतावनी दी है। सीबीडीटी ने हाल में विभाग के प्रमुख आयुक्त और आयुक्त स्तर के 300 से ज्यादा से भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) अधिकारियों के ट्रांसफर और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किये थे। उसने 21 जुलाई को जारी आदेश में कहा है कि इस तरह के प्रयासों से बचा जाना चाहिए। अन्यथा उनके खिलाफ सेवा आचार संहिता नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने अधिकारियों से कहा है कि अगर वे चाहें तो मनपसंद ट्रांसफर व पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम के जरिये अनुरोध कर सकते हैं। वे नाजायज प्रभाव का इस्तेमाल कतई नहीं करें। आयकर दायरा बढ़ाने के सरकारी प्रयास जारी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग से ऐसे लोगों की पहचान करने की मुहिम को तेज करने के लिए कहा है जो टैक्स अदा तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं।

कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा मामले की दोबारा नहीं होगी जांच : सुको

नई दिल्ली,(आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 1989-90 के दौरान घाटी में 700 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या मामले में फिर से जांच की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की एक बेंच ने कहा कि सबूतों को इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस मामले को गुजरे करीब 27 साल हो गए। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर संभव हो तो सबूत लेकर आएं। रूट ऑफ कश्मीर संगठन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील विकास पंडोरा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ने को मजबूर किया गया था। पंडोरा ने स्वीकार किया कि उनकी तरफ से देरी हुई है, मगर ना तो केंद्र या राज्य ने और ना ही न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया। 700 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या मामले में अब तक 215 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, मगर एक भी मामला अपने किसी तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया है।

आइएसएल के ड्रॉफ्ट में सबसे महंगे खिलाड़ी बनें अनस व युजेनसन

मुंबई,(आरएनएस)। डिफेंडर अनस इदाथोडिका और मिडफील्डर युजेनसन लिंगदोह इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) के खिलाड़ी ड्राफ्ट में रविवार को यहां सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जिनके लिए क्रमशः नई टीम जमशेदपुर एफसी और दो बार के चैंपियन एटलेटिको डी कोलकाता (एटीके) ने एक करोड़ दस लाख रुपये की समान बोली लगाई। 1134 खिलाड़ियों को दस फ्रेंचाइजियों ने अपनी-अपनी टीम में शामिल किया जिसमें अनस और युजेनसन के अलावा शीर्ष बोली में राष्ट्रीय टीम के स्टार गोलकीपर सुब्रत पॉल को जमशेदपुर एफसी ने 87 लाख रुपये जबकि प्रीतम कोटल का दिल्ला डाइनामाज ने 75 लाख रुपये में खरीदा। एटीके ने भारत की राष्ट्रीय टीम के स्टार स्ट्राइकर नोएडा के रॉबिन सिंह को 65 लाख रुपये में खरीदा। मुंबई सिटी एफसी ने स्ट्राइकर बलवंत सिंह को तीसरे राउंड में 67 लाख रुपये और गोलकीपर अरिंदम भट्टाचार्य (64 लाख) को चौथे राउंड में खरीदा। केरल ब्लास्टर्स ने रिनो एंटो को 63 लाख रुपये में अपनी टीम के साथ जोड़ा। गोवा ने प्रणय हलदर (58 लाख) और नारायण दास (58 लाख) को टीम में शामिल किया, जबकि चेन्नई ने थोइ सिंह के लिए 57 लाख रुपये खर्च किए।

बुखार के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे केएल राहुल

कोलंबो,(आरएनएस)। श्री लंका के खिलाफ गॉल में होने वाले पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। हालांकि, इस बीच टीम को एक झटका लग गया है। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को बुखार है। इस कारण वह पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआइ ने ट्वीट कर जानकारी दी है। राहुल के बीमार होने के बाद अभिनव मुकुंद को टेस्ट में मौका मिल सकता। बीसीसीआइ की तरफ से दिए बयान में कहा गया है, बल्लेबाज के एल राहुल इस वक्त बुखार से पीड़ित हैं। उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है और वह श्री लंका के खिलाफ पहले टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। बता दें कि राहुल चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। चोट के कारण राहुल काफी समय से मैदान से बाहर थे और इसी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल में भी हिस्सा नहीं ले सके थे। हालांकि, टीम में लौटने के बाद उन्होंने श्री लंका बोर्ड अध्यक्ष एकादश के खिलाफ बेहतरीन अर्ध शतकीय पारी खेली थी। अब पहले टेस्ट में उनके फिट नहीं होने के कारण अभिनव मुकुंद को शिखर धवन के साथ अंतिम ग्यारह में शामिल किया जा सकता है।

बीसीसीआई की एसजीएम में श्रीनिवासन और शाह के भाग लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली,(आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन और क्रिकेट प्रशासक निरंजन शाह को बीसीसीआई की 26 जुलाई को प्रस्तावित विशेष आम सभा में शामिल होने से सोमवार को रोक दिया। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि विशेष आम सभा की बैठक में सिर्फ राज्य क्रिकेट असोसिएशनों के पदाधिकारी ही हिस्सा लेंगे। पीठ ने कहा कि सभी असोसिएशन जस्टिस आर. एम.लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशें, कुछ मुद्दों को छोड़कर जहां तक व्यावहारिक हों, लागू करेंगी। सदस्यता, चयनकर्ता और मतों की संख्या से संबंधित मुद्दों पर शीर्ष अदालत में विचार किया जाएगा। पीठ ने इसके साथ ही इस मामले में अब 18 अगस्त को आगे सुनवाई करने का निश्चय किया और कहा कि वह 2 मुद्दों-राज्य असोसिएशनों द्वारा जहां तक व्यावहारिक हो लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर अमल और शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति में उत्पन्न रिक्त स्थानों को भरने के लिए नामों पर विचार करेगी।

टाटा समूह की खराब प्रदर्शन वाली कंपनियां बिकेंगी : चंद्रशेखरन

नई दिल्ली,(आरएनएस)। टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने कहा है कि समूह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही कंपनियों को बेचेगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सुर्खियां बटोरने के लिए यह नहीं किया जाएगा बल्कि अपेक्षित लाभ न देने वाली कंपनियां का हो बचन पर विचार होगा। फॉर्च्यून मैगजीन को दिये एक इंटरव्यू में चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा 100 अरब डॉलर से ज्यादा कारोबार करने वाला समूह पहले बन चुका है। अगले स्तर पर हमें बड़े आकार के कारोबार पर ध्यान देना होगा।